संख्या-24/2024/261/एक-1-2024-1-1099/104/2023

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
अयोध्या मण्डल,
अयोध्या।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2024

विषयः महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, अयोध्या द्वारा ग्राम मांझा बरहटा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या में विहित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-473/प्र0व0स0-स0अ0अ0-म0रा0वि0/विनियमितीकण/2024, दिनांक-13.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा ग्राम मांझा बरहटा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद अयोध्या में विहित सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि पर महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का विस्तार, महर्षि कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र, महर्षि आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र एवं उद्यान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कुल गाटा संख्या 189, क्षेत्रफल 21.421791हे0 (52.933 एकड़) के विनियमितीकरण का संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या-928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 26.10.2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 के आलोक में श्री राज्यपाल उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-89 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित सीमा 5.0586हे0 से अधिक क्रय की गई कुल गाटा संख्या-189, क्षेत्रफल 21.421791हे0 (52.933 एकड़) भूमि के सशुल्क विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्त के साथ प्रदान करते हैं:-

(1)- संस्था द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के 10 प्रतिशत धनराशि कुल रूपये 187.6142 लाख/- (रू0 एक करोड़ सत्तासी लाख इकसठ हजार चार सौ बीस मात्र) शुल्क निर्धारित लेखा-शीर्षक "राजस्व एवं पूंजीलेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान" के लेखाशीर्ष "0029-भू-राजस्व-101-भू-राजस्व/कर-06-राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्राप्तियां" के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "0603-अन्य प्राप्तियां" में जमा किया जायेगा।

(2)- साथ ही प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न कदापि नहीं किया जायेगा।

भवदीय
राम रतन
विशेष सचिव। --2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/व्यावसायिक शिक्षा/आयुष/उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. अधिकृत हस्ताक्षरी, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, अयोध्या।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।